समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला विकास शाखा)
आदेश

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र संख्या-1401 /02-05-16 के आलोक में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में सर्वेक्षण होना तय हुआ है।

सर्वेक्षण कार्य दिनांक 25-06-2016 से प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित पंचायत के इंदिरा आवास सहायक तथा पंचायत रोजगार सेवक तथा जिन पंचायतों में उक्त कर्मी की अनुपस्थिति है, उप विकास आयुक्त से प्राप्त सूची के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

(2) संबंधित प्रखण्ड के कनीय विद्युत अभियंता को पंचायत में सर्वेक्षण कार्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके देख-रेख में घर-घर सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न किया जाएगा।

(3) कनीय विद्युत अभियंता के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर न्यूनतम 7 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों की जांच स्वयं की जाएगी।

(4) कार्य समाप्ति के उपरान्त कनीय नोडल पदाधिकारी विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित प्रमाण सहायक नोडल पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियंता) को भेजा जाएगा।

(5) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण के लिए कनीय विद्युत अभियंता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

(6) सर्वेक्षण टीम के द्वारा सर्वेक्षण 'एंड्रायड एप' में अंकित विहित प्रपत्र में किया जाएगा।

(7) जिला स्तर पर जिला समन्वयक के रूप में विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रपत्र संकलित कर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(8) प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण दल के कार्यो का पर्यवेक्षण ससमय करेंगे। जिला स्तर पर जिला समन्वयक के रूप में उप विकास आयुक्त तथा अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी सहायक समन्वयक का कार्य करेंगे।

(9) संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता सर्वेक्षित घरों का 2 प्रतिशत भौतिक सत्यापन स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे।

10

(10) सर्वेक्षण संबंधित सभी तथा पर्यवेक्षण कार्य विभागीय पत्र (ज्ञापांक–1401 /02–05–16) के आलोक में किया जाएगा। विभागीय पत्र की प्रति सभी अधीनस्थ संबंधित कर्मी को कार्यपालक अभियंता /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।
24/6/16

ज्ञापांक......229....../वि0, मधेपुरा, दिनांक......24/6/2016

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता /सभी सहायक विद्युत अभियंता /सभी कनीय विद्युत अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश की सूचना अधीनस्थ आवास सहायक तथा पंचायत रोजगार सेवक को देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।
24/6/16

पत्र संख्या 2/4-09 / पटना, दिनांक 02.05.2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

विषय :-- **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों की (Rural Household) के सर्वेक्षण के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक निश्चय के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों (Rural Household) को विद्युत सम्बन्ध उपलब्ध कराया जाना है। उक्त निश्चय के कार्यान्वयन हेतु **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों (Rural Household) का शत् प्रतिशत सर्वेक्षण किया जाना है। इस संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया है:—

1. सभी **जिला पदाधिकारी पूरे** सर्वेक्षण कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं पूरे कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।
2. जिला स्तर पर **विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (आपूर्ति)** को सर्वेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें।
3. अनुमण्डल स्तर पर **सहायक विद्युत अभियन्ता (आपूर्ति)** सहायक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें।
4. प्रखंड स्तर पर **कनीय विद्युत अभियंता (आपूर्ति)**, कनीय **नोडल पदाधिकारी** के रूप में कार्य करेंगे।
5. जिला स्तर पर **जिला समन्वयक** के रूप में **उप विकास आयुक्त** कार्य करेंगे।
6. **अनुमंडल** स्तर पर **अनुमंडल पदाधिकारी** सर्वेक्षण कार्यो को **सहायक समन्वय** के रूप में कार्य करेंगें।
7. जिला के IT Manager सर्वेक्षण कार्य में नोडल पदाधिकारी/जिला समन्वयक को पूर्ण सहयोग करेंगें।

   उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी /सहायक नोडल पदाधिकारी/ कनीय नोडल पदाधिकारी/ जिला समन्वयक/सहायक जिला समन्वयक का उनके नाम/पदनाम /मोबाईल नं० की सूचना संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक / सभी अनुमंडल पदाधिकारी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (आपूर्ति) एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. विद्युत अधीक्षण अभियन्ता अपने अंचल के अधीन चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर इसकी समीक्षा कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. जिलान्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घरों का सर्वेक्षण कार्य **'एंड्रायड ऐप'** में अंकित विहित प्रपत्र के आधार पर किया जायेगा। उक्त सर्वेक्षण हेतु सॉफ्टवेयर NIC से सम्पर्क कर DGM (IT) BSPHCL द्वारा GM(HR& Admin.) BSPHCL को 10 मई 2016 तक उपलब्ध कराया जाएगा। कम्पनी मुख्यालय स्तर पर सर्वेक्षण प्रविष्टियों को DGM (IT) BSPHCL के टीम के

द्वारा समेकित किया जाएगा। इस कार्य में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (IT) डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (IT) डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं उनके कोषांग के पदाधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों के समेकन में DGM (IT) BSPHCL को पूर्ण सहयोग करेंगें। इस कार्य में मुख्य डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की प्रतिनियुक्ति DGM (IT) BSPHCL के साथ होगी।

(क) समय सीमा:– ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सभी घरों (Rural Household) का घर–घर (House to House) सर्वेक्षण कार्य **दिनांक 25.06.2016** से प्रारंभ होगा। सर्वेक्षण कार्य की समय सीमा **अधिकतम तीन माह (25 सितम्बर 2016)** की होगी।

(ख) **सर्वेक्षण दल:**– सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत पंचायत ईकाई स्तर पर घर–घर विद्युत् कनेक्शन देने हेतु सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित दो कर्मियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा:–

(1) इन्दिरा आवास सहायक

(2) पंचायत रोजगार सेवक

1. **कनीय विद्युत अभियन्ता के द्वारा पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण हेतु गठित टीम के सदस्यों के लिए वार्ड/टोला आवंटन करने का प्रस्ताव संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा तीन दिनों के अन्दर प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त सर्वेक्षकों के लिए वार्ड/टोला का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।**
2. **कनीय विद्युत् अभियन्ता के देख–रेख में प्रखंड स्तर पर 'घर–घर सर्वेक्षण कार्य' सम्पन्न** किया जाएगा। **कनीय विद्युत अभियन्ता के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर न्यूनतम 7 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों की जॉच स्वयं की जाएगी। कार्य समाप्ति के उपरांत कनीय नोडल पदाधिकारी विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सहायक नोडल पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियन्ता) को भेजा जाएगा।**
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण के लिए कनीय विद्युत अभियन्ता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर संयुक्त रूप से न्यूनतम 15 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों की जॉच की जाएगी। पर्यवेक्षण/निरीक्षण के क्रम में प्राप्त प्रविष्टियों को पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी अपने **"login"** से राज्य मुख्यालय भेजेंगें। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के द्वारा संकलित प्रविष्टियॉ अगर सर्वेक्षण दल से भिन्न पायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित टीम के द्वारा इसके सत्यापन के उपरान्त संबंधित **निदेशक (परियोजना)** नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/ **निदेशक (परियोजना)** साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अनुमोदनोपरांत **DGM (IT) BSPHCL** के द्वारा प्रविष्टियों में सुधार किया जाएगा।
4. सर्वेक्षण के लिए 'एंड्रायड एप' में अंकित विहित प्रपत्र सर्वेक्षण टीम के सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सर्वेक्षण से संबंधित सारी प्रविष्टियॉं अंकित की जाएगी।
5. **उक्त प्रपत्र को संकलित कर जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे नोडल पदाधिकारी राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराएगें।**

(ग) पर्यवेक्षण दल :–

1. प्रखंड स्तर पर प्रखंड़ विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण दल के कार्यो का समन्वयन करेंगें।
2. अनुमण्डल स्तर पर सहायक नोडल पदाधिकारी संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता से सर्वेक्षण का पूर्णता एवं सत्यता का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगें। सहायक नोडल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर कम से कम 4 प्रतिशत घरों के सर्वेक्षण स्वयं जॉच करेंगें।